

# 1:संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था 2012-13 का विहंगावलोकन

## 1.1 प्रस्तावना

संसद में संघ सरकार के वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए गए, जिसमें वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे सम्मिलित हैं। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे से प्राप्तियों तथा भुगतानों की विवरणी को दर्शाते हैं। विनियोग लेखे विधायिकाओं द्वारा प्राधिकृत राशियों के साथ मिलान करते हुए व्यय तथा प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत परिणामतः आधिक्य/बचत के लिए स्पष्टीकरण को दर्शाते हैं।

### बाक्स 1.1: संघ सरकार निधियां एवं लोक लेखा

<b>समेकित निधि</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>संघ सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, राजकोषीय बिलों के निर्गम द्वारा उठाए गए समस्त ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत स्थापित की गई "भारत की समेकित निधि" शीर्षक एक समेकित निधि बनाएंगे।</li></ul>
<b>आकस्मिकता निधि</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>संविधान के अनुच्छेद 267(1) के अंतर्गत स्थापित भारत की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखे गए एक अग्रदाय के रूप में हैं जो उन्हें, संसद के लंबित प्राधिकार के रहते अतिआवश्यक अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम प्रदान करने का अधिकार देता है।</li><li>ऐसे व्यय और समेकित निधि से इसके बराबर राशि के आहरण के लिए वैधानिक अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है। तत्पश्चात् आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिमों की निधि से प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।</li></ul>
<b>लोक लेखा</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>समेकित निधि से संबंधित सरकार की सामान्य प्राप्तियों तथा व्ययों के अतिरिक्त सरकारी लेखाओं में कुछ ऐसे लेन-देन भी सम्मिलित होते हैं जिनके संबंध में सरकार अधिकतर बैंकर के रूप में कार्य करती है। भविय निधियों, लघु बचतों, अन्य जमाओं आदि से संबंधित लेन-देन इसके कुछ उदाहरण हैं।</li><li>इस प्रकार, प्राप्त लोक धन को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत गठित लोक लेखा में रखा जाता है तथा सम्बद्ध संवितरण उसमें से भी किए जाते हैं।</li></ul>

**1.1.1** वर्ष 2012-13 आर्थिक विकास में गिरावट के रूप में चिन्हित किया गया था जो कि सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) वृद्धि<sup>1</sup> द्वारा वर्ष 2011-12 में 6.6 प्रतिशत के प्रति 4.7 प्रतिशत मापी गई। 2012-13<sup>2</sup> के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, आयात की तुलना में निर्यात में कम विकास और निवेश दर में कमी के कारण विकास दर में काफी गिरावट आई। सर्वेक्षण में आगे यह नोट किया गया कि 2012-13 में सेवा क्षेत्र की विकास दर भी 6.6 प्रतिशत तक गिर गई और निजी अंतिम उपभोग (भोजन, कपड़ा, फर्नीचर, विद्युत, स्वास्थ्य सेवार्यें, परिवहन, शिक्षा आदि) व्यय जो कि बाजार मूल्य पर स.घ.उ. का तीन बटे पांचवा भाग बनाता है, भी 2012-13 में 4.1 प्रतिशत तक काफी धीमा हो गया है।

<sup>1</sup> 31 जनवरी 2014 को सी.एस.ओ. द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, 2004-05 के बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के अनुमान पिछले वर्ष से 4.7 प्रतिशत तक बढ़े जबकि वर्तमान मूल्यों पर यह 12.2 प्रतिशत तक बढ़े। बाजार मूल्यों (वर्तमान मूल्यों) पर स.घ.उ. के अनुमानों को पिछले वर्ष के प्रतिवेदनों के साथ तुलना के उद्देश्य से अपनाया गया है।

<sup>2</sup> भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (फरवरी 2013)

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन संघ लेखे 2012-13

इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध, यह अध्याय वित्त लेखे में सम्मिलित आंकड़ों पर आधारित संघ सरकार के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषणात्मक विहंगावलोकन प्रदत्त करता है। तालिका 1.1 वर्ष 2012-13 के लिए संघ सरकार की प्राप्तियों संवितरणों तथा संघ सरकार के उधारों की स्थिति का सारांश प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.1: चालू वर्ष के प्रचालन का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	व्युत्पन्न मापदण्ड	संवितरण
<b>भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.)</b>		
राजस्व प्राप्तियां *	1055891 (910277)	राजस्व व्यय 1420473 (1305195)
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	25889 (18088)	पूंजीगत व्यय 150382 (139465)
कर्जों की वसूली	26624 (36818)	ऋण तथा अग्रिम 32063 (38404)
कुल गैर-ऋण प्राप्तियां	1108404 (965183)	वास्तविक व्यय 1602918 (1483064)
लोक ऋण	3968038 (4063177)	लोक ऋण 3426893 (3495929)
भा.स.नि.में कुल प्राप्तियां	5076442 (5028360)	भा.स.नि. में कुल व्यय 5029811 (4978993)
<b>आकस्मिकता निधि</b>		
प्राप्तियां	0	विनियोग 0
<b>लोक लेखा</b>		
लघु बचतें	381315 (372828)	लघु बचतें 375092 (358502)
आरक्षित एवं निक्षेप निधि	117117 (108076)	आरक्षित एवं निक्षेप निधि 117529 (102402)
जमा	113974 (92993)	जमा 107536 (93552)
अग्रिम	33424 (35290)	अग्रिम 37140 (40209)
उचन्त लेखे	11832 (4894)	उचन्त लेखे 16275 (56477)
प्रेक्षण	3122 (6586)	प्रेक्षण 2831 (2901)
कुल लोक लेखे	660784 (620667)	कुल लोक लेखे 656403 (654043)
प्रारंभिक नकद	17439 (1449)	अन्तः नकद 68451 (17439)
लोक लेखा घाटा (मांग)	-4381	(भा.स.नि.) में अधिशेष-रोकड़ में वृद्धि
वार्षिक देयताएं (आपूर्ति)	553394	(ऋण+लघुबचत+आ.नि.+जमा) का अधिशेष
वार्षिक देयताएं (मांग)	553394	राजकोषीय घाटा (-) रोकड़ में वृद्धि (+) (अग्रिम+उचन्त+प्रेक्षण) का निवल संवितरण

\*राज्य को सौंपे गये करों एवं शुल्कों के आंकड़ों को शामिल नहीं करता (2012-13 के लिए ₹2,91,547 करोड़)

नोट: (1) कोष्ठक में आंकड़े वर्ष 2011-12 के लिए अनुस्यू आंकड़ों को दर्शाते हैं।

(2) 2012-13 के लिए राजस्व प्राप्ति एवं राजस्व व्यय को, करों की वापसी पर ब्याज पर किये गये व्यय को व्यय की बजाय "कम किया राजस्व" के रूप में दर्शाने के कारण ₹ 6,682 करोड़ से कम बताया गया है। विवरण के लिए कृपया इस प्रतिवेदन के पैरा 4.2 एवं 4.3 का संदर्भ लें।

जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा गया, 2012-13 में भी, 2011-12 की तरह, भारतीय समेकित निधि (भा.स.नि.) में अधिशेष था। पिछले वर्ष की तुलना में भा.स.नि. के अधिशेष में ₹2,736 (5.54 प्रतिशत) की गिरावट आई थी। संघ सरकार के गैर-ऋण प्राप्तियों में 14.84 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बावजूद भा.स.नि. के अधिशेष में कमी आई। लोक ऋण की प्राप्ति में 2.34 प्रतिशत की कमी तथा वास्तविक व्यय में 8.08 प्रतिशत की बढ़ोतरी, भा.स.नि. के अधिशेष में कमी के मुख्य कारण है। लोक लेखे के मामले में, जहाँ सरकार एक बैंकर न्यासी के रूप में कार्य करती है, पिछले वर्ष के घाटे की तुलना में इस वर्ष अधिशेष हुआ था।

### 1.1.2 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की तुलना में मुख्य वित्तीय मापदंडों पर वर्तमान वर्ष में निष्पादन

सकल घरेलू उत्पाद (स.उ.घ.) की प्रतिशतता के रूप में संघ सरकार हेतु मुख्य राजकोषीय सकल तथा तेरहवें वित्त आयोग (13वें वि.आ.) की रिपोर्ट द्वारा तैयार रूपरेखा को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 1.2: केन्द्र हेतु राजकोषीय समेकन मार्ग का सारांश (तेरहवां वित्त आयोग)

मापदंड	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित					(स.घ.उ. की प्रतिशतता) वित्तीय लेखे के अनुसार वास्तविक निष्पादन		
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व घाटा	3.2	2.3	1.2	0.0	-0.5	3.26	4.38	3.60
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	0.67	0.61	0.52
पूंजीगत व्यय	3.0	3.1	3.8	3.9	4.5	2.33	1.97	1.80
राजकोषीय घाटा	5.7	4.8	4.2	3.0	3.0	4.92	5.75	4.89
ऋण (वर्ष के अंत की समायोजन देयताएं)	53.9	52.5	50.5	47.5	44.8	45.38	46.08	46.54

जैसाकि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, कोई भी मापदंड 13वें वि.आ. द्वारा 2012-13 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के समीप नहीं था। वस्तुतः, वर्ष 2012-13 का राजस्व घाटा 13वें वि.आ. द्वारा रूपांकित लक्ष्य से तीन गुना से अधिक है। दिलचस्प रूप से, पिछले वर्ष की तुलना में, राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे को छोड़कर अन्य सभी मापदंडों में अपकर्ष स्पष्ट दिखता है। विशेषकर, वर्तमान वर्ष में पूंजीगत व्यय 13वें वि.आ. द्वारा 2012-13 के लिए निर्धारित लक्ष्य से लगभग आधा है। यद्यपि, वर्तमान वर्ष में ऋण 46.54 पर रहा जोकि 50.5 के बेंचमार्क लक्ष्य से नीचे है, फिर भी लगातार पिछले तीन वर्षों 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में क्रमशः 45.38, 46.08 और 46.54 की इसकी बढ़ती प्रवृत्ति को 13वें वि.आ. द्वारा 2014-15 के लिए 44.8 के निर्धारित लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सुधार की आवश्यकता है।

## 1.2 संसाधन का सृजन

राजस्व की स्थिति (लोक लेखे में राजस्व प्राप्तियाँ, पूँजीगत प्राप्तियाँ तथा सकल प्रोद्भूत) का विश्लेषण निम्नलिखित को दर्शाता है:

### 1.2.1 राजस्व प्राप्तियाँ

वर्ष को सकल राजस्व प्राप्तियों में 15.59 प्रतिशत की अत्यधिक वृद्धि (2011-12 में 1.19 प्रतिशत के सीमांतवृद्धि की तुलना में) द्वारा विशेषीकृत किया गया है। 2012-13 हेतु सकल ऋण प्राप्ति से सकल प्राप्ति 65.82 प्रतिशत थी जो कि 2011-12 में 68.82 प्रतिशत थी, जो बजट को संतुलित करने हेतु ऋणों पर निरंतर निर्भरता को दर्शाता है।

तालिका 1.3: स.घ.उ. में प्राप्तियों का अंश


(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल राजस्व प्राप्तियाँ* (1)	गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (2)	सकल ऋण प्राप्तियाँ (3)	लोक लेखे में सकल उपार्जन (4)	सकल प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	स.घ.उ.@	सकल प्राप्तियाँ / स.घ.उ. (6)
2008-09	814026 (21%)	14075 (0%)	2395765 (63%)	584478 (15%)	3808344	5582623	68
2009-10	869355 (17%)	37314 (1%)	3405327 (68%)	660401 (13%)	4972397	6477827	77
2010-11	1151989 (23%)	52099 (1%)	3177106 (62%)	706922 (14%)	5088116	7784115	65
2011-12	1165691 (20%)	54906 (1%)	4063177 (69%)	620667 (11%)	5904441	9009722	66
2012-13	1347438 (22%)	52513 (1%)	3968038 (66%)	660784 (11%)	6028773	10113281	60

\*राज्यों को सौंपे गए करों तथा शुल्कों के आंकड़े सम्मिलित हैं (2012-13 के लिए, 2,91,547 करोड़)। इस घटक का अपवर्जन ₹10,55,891 करोड़ का कुल राजस्व प्राप्ति देता है जैसा कि तालिका 1.1 में दिखाया गया है।

@ स्रोत:केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (के.सां.सं.), सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन ब्यूरो मंत्रालय प्रेस नोट दिनांक 31 जनवरी 2014 आंकड़ों का के.सां.सं. द्वारा लगातार संशोधन किया जा रहा है तथा यह डाटा वृहत अर्थव्यवस्था निष्पादन के साथ राजकोषीय निष्पादन की एक संकेतिक तुलना हेतु है।


चार्ट 1.1: स.घ.उ. के संदर्भ में सकल प्राप्तियाँ एवं प्रवृत्ति में वृद्धि



### 1.2.2 मुख्य राजस्व संबंधित मापदंडों के बजट अनुमानों तथा वित्त लेखे के बीच अंतराल

यथार्थवादी बजटीय अनुमानों का सूत्रीकरण व्यय नियंत्रण तथा रोकड़ एवं ऋण प्रबन्धन हेतु महत्वपूर्ण है। चार्ट 1.2 दर्शाता है कि आयकर एवं सेवा कर के अलावा सभी करों से प्राप्ति अनुमानित स्तर से काफी कम थी। कर रहित राजस्व क्षेत्र में लाभांशों एवं लाभ से प्राप्तियाँ तथा ब्याज प्राप्तियाँ ब.अ. से क्रमशः 54 प्रतिशत और 7.20 प्रतिशत अधिक थीं।

चार्ट 1.2 बजट अनुमानों से सकल वास्तविक प्राप्तियों का विचलन



### 1.2.3 कर राजस्व

तालिका 1.4: कर राजस्व के घटक (सकल)

(₹ करोड़ में)

अवधि	कुल सकल कर राजस्व#	निगम कर	आय कर	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य *	स.घ.उ.
XIवी योजना (2007-12) औसत	701080	254507	126956	114493	123563	67838	13723	6760429@
2008-09	605298	213395	106075	99879	108613	60941	16395	5582623
2009-10	624528	244725	122417	83324	102991	58422	12649	6477827
2010-11	793308	298688	139102	135813	137701	71016	10988	7784115
2011-12	889118	322816	164525	149328	144901	97509	10039	9009722
2012-13	1036461	356326	196844	165346	175845	132601	9499	10113281
वृद्धि की औसतन वार्षिक दर (प्रतिशत)								
XIवी योजना (2007-12)	11.41	14.64	12.91	10.83	5.71	15.46	(-)15.02	16.55
2008-09	2.05	10.62	3.33	(-)4.07	(-)12.13	18.79	(-)11.59	12.83
2009-10	3.18	14.68	15.41	(-)16.58	(-)5.18	(-)4.13	(-)22.85	16.04
2010-11	27.03	22.05	13.63	62.99	33.70	21.56	(-)13.13	20.17
2011-12	12.08	8.08	18.28	9.95	5.23	37.31	(-) 8.64	15.74
2012-13	16.57	10.38	19.64	10.73	21.36	35.99	(-)5.38	12.25

# राज्यों/सं.शा.क्षे.को दिए गए करों/शुल्कों के आंकड़े शामिल हैं।


\* अन्य करों में होटल प्राप्ति कर, ब्याज कर, सम्पत्ति कर, उपहार कर, अनुषंगी लाभ कर, प्रतिभूति लेन-देन कर, बैंकिंग रोकड़ लेन-देन कर आदि शामिल हैं।

@2007-08 के लिए स.घ.उ. ₹ 49,47,857 करोड़ था।

जैसा कि तालिका 1.4 से देखा जा सकता है जबकि चालू वर्ष में समग्र कर राजस्व 16.57 प्रतिशत तक बढ़ा, फिर भी सेवा कर में सार्थक वृद्धि थी जो 35.99 प्रतिशत तक बढ़ा था। सकल करों की वृद्धि चालू वर्ष के स.घ.उ. से अधिक थी, जो पिछले वर्ष के प्रवृत्ति में उत्क्रमण का संकेत करती है। निगम कर जो कर राजस्व का तीसरे हिस्से से अधिक का योगदान करता है निरन्तर चिंताजनक प्रवृत्ति को दिखाता है। निगम कर की वृद्धि दर (10.38 प्रतिशत), कर राजस्व की कुल वृद्धि दर (16.57 प्रतिशत) और ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान निगम कर की औसत वृद्धि दर (14.64 प्रतिशत) से भी कम थी।

चार्ट 1.3 में दिखाए गए 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान कर राजस्वों के सापेक्ष अंशों की तुलना में सेवा कर के अंशों में बहुत कम वृद्धि दर्शाता है (दो प्रतिशत से) और दूसरी ओर निगम कर के अंश में कमी थी (दो प्रतिशत से); बाकी अंश लगभग वही हैं।

चार्ट 1.3: कर राजस्व के घटक



#### 1.2.4 गैर-कर राजस्व

तालिका 1.5 दर्शाती है कि वर्ष 2012-13 के दौरान, गैर-कर राजस्व (59 प्रतिशत) का सबसे बड़ा अंश विभिन्न विभागों द्वारा उद्ग्रहित उपभोक्ता प्रभारों से आता है जो आम जनता को आर्थिक सेवाएं प्रदान करते हैं। ब्याज प्राप्तियों ने गैर-कर राजस्व का 13 प्रतिशत संघटित किया जबकि लाभांश तथा लाभ लगभग 17 प्रतिशत तक दर्ज किए गए थे। पिछले वर्ष में 22.89% की नकारात्मक वृद्धि की तुलना में वर्तमान वर्ष में 12.44 प्रतिशत के गैर-कर राजस्व में सकारात्मक वृद्धि थी। यह मुख्यतः सामाजिक सेवाओं से प्राप्तियों (387.75 प्रतिशत) में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण हुआ था जो कि पिछले वर्ष के समाज सेवाओं के लगभग सभी घटकों की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण थी।

तालिका 1.5: गैर-कर राजस्व - उप-संघटकों तथा प्रवृत्तियों की सापेक्ष संरचना

(₹ करोड़ में)

अवधि	कुल गैर-कर राजस्व #	ब्याज प्राप्ति	लाभ एवं लाभांश	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	स्वायत्त तथा अन्य कार्य **
<b>XI वीं योजना (2007-12) औसत</b>	<b>259378</b>	<b>35332</b>	<b>44392</b>	<b>759</b>	<b>155743</b>	<b>23151</b>
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>नगण्य</b>	<b>60</b>	<b>9</b>
2008-09	208728	30846	38608	540	118146	20588
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	15	19	नगण्य	57	10
2009-10	244827	35849	50250	713	133038	24977
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	15	21	नगण्य	54	10
2010-11	358681	35299	47993	814	248252	26323
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	10	14	नगण्य	69	7
2011-12	276573	40054	50609	988	158283	26639
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	15	18	नगण्य	57	10
2012-13	310977	38860	53762	4819	184662	28874
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	13	17	2	59	9
<b>वृद्धि की औसत वार्षिक दर</b>						
<b>XI वीं योजना (2007-12)</b>	<b>11.75</b>	<b>4.36</b>	<b>10.34</b>	<b>10.33</b>	<b>13.65</b>	<b>11.82</b>
2008-09	0.31	(-)10.88	11.91	(-)27.22	(-)2.36	19.51
2009-10	17.29	16.22	30.15	32.04	12.60	21.32
2010-11	46.50	(-)1.53	(-)4.49	14.17	86.60	5.39
2011-12	(-)22.89	13.47	5.45	21.38	(-)36.24	1.20
2012-13	12.44	(-)2.98	6.23	387.75	16.67	8.39

टिप्पणी: सापेक्ष अंशों को दर्शाते हुए आंकड़ों को पूर्णांक के समीप पूर्णांकन कर दिया गया है इसलिए कुल योग हमेशा 100 नहीं भी हो सकता है। नगण्य उन आंकड़ों को संदर्भित करता है जहां उप-घटक का अंश गैर कर राजस्व के 0.5 प्रतिशत से कम है।

#अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान तथा अंशदान शामिल हैं।


सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता तथा सामाजिक सुरक्षा आदि शामिल हैं।

आर्थिक सेवाओं में डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्यपालन, वन, वृक्षारोपण, खाद्य भण्डारण तथा गोदाम, कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सिंचाई हेतु उपभोक्ता प्रभार, ऊर्जा का प्रावधान, सा.क्षे.उ. तथा सरकारी उपक्रमों जैसे रेलवे, डाक, जहाजरानी आदि की प्राप्ति शामिल हैं।

\*\*राजकोषीय सेवाएं तथा अन्य सामान्य सेवाएं (पुलिस, लोक निर्माण कार्य, लेखन-सामग्री तथा मुद्रण आदि)

गैर-कर राजस्व के घटकों के सापेक्ष अंश चार्ट 1.4 में नीचे दर्शाए गये हैं। यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान आर्थिक सेवाओं से प्राप्ति ने गैर-कर राजस्व में मुख्य भाग बनाया। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से राजस्व के अंशों में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि देखी गई। वृद्धि के लिए जिम्मेदार मुख्य योजनाएं/कार्यक्रम थे जिनमें सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से प्राप्ति जो कि 2011-12 में ₹ 1.09 करोड़ से 2012-13 में ₹ 3594.14 करोड़ तक वृद्धि हुई और पेट्रोलियम-अन्य प्राप्ति जोकि 2011-12 में ₹260.39 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹637.04 करोड़ हो गई और आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-अन्य प्राप्ति 2011-12 में ₹ 108 करोड़ से 2012-13 में ₹ 473.74 करोड़ हुई।

चार्ट 1.4: गैर-कर राजस्व के घटक



नोट: 2011-12 में 'सामाजिक सेवाओं' का अंश गैर-कर राजस्व के 0.5 प्रतिशत से कम था।

### 1.2.5 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ

गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ, विविध पूंजीगत प्राप्तियों (बोनस अंश, विनिवेश आदि) तथा ऋण एवं पेशगियों की वसूली से बनती हैं। तालिका 1.6 विनिवेश से गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों तथा राज्य तथा संघ क्षेत्र सरकारों, विदेशी सरकारों, सरकारी निगमों, गैर-सरकारी संस्थानों तथा सरकारी कर्मचारियों को संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जे एवं पेशगियों की वसूली का विवरण प्रस्तुत करती हैं। 2012-13 के दौरान, विनिवेश प्राप्तियाँ पिछले दो वर्षों की तुलना में बजट अनुमानों के समीप थीं। ऋणों की वसूली, पिछले वर्षों के जैसे, बजट अनुमानों से काफी अधिक थी, जो कि अनुमानों के सूत्रीकरण में कमी को दर्शाता है।

तालिका 1.6: विनिवेश से प्राप्तियाँ तथा कर्जों की वसूली


अवधि	विनिवेश			ऋणों की वसूली		
	बजट अनुमान (ब.अ.)	वास्तविक प्राप्तियाँ* (वा.प्रा.)	वा.प्र. से ब.अ. की प्रतिशतता	बजट अनुमान (ब.अ.)	वास्तविक प्राप्तियाँ (वा.प्रा.)	वा.प्र. से ब.अ. की प्रतिशतता
	(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)		
2008-09	10165	22	0.22	5993	13509	225.41
2009-10	1120	23599	2107.05	5720	12733	222.60
2010-11	40000	22277	55.69	6624	29253	441.62
2011-12	40000	14027	35.07	26510	36818	138.88
2012-13	30000	25408	84.69	23095	26624	115.28

\*बोनस अंश शामिल नहीं हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 में चार सा.क्षे.उ. द्वारा भारत सरकार को जारी कुल ₹115.80 करोड़ के बोनस अंशों को 2012-13 के लिए वित्त लेखे में दर्ज नहीं किया गया है (पैरा सं. 2.3.13 के संदर्भ में)।

वर्ष के दौरान प्राप्त विनिवेश प्राप्तियों का ब्यौरा तालिका 1.5 में दिया गया है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एवं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (रा.ख.वि.नि.) लिमि.नामक दो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में विनिवेश लाभ का 69 प्रतिशत देखा जा सकता है।



चार्ट 1.5: विनिवेश लाभ के घटक




\*पूर्व में 'राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड' से जाना जाता था।

### 1.3 व्यय विश्लेषण

भारत सरकार की समेकित निधि से तथा लोक लेखे से कुल संवितरण ₹ 56,86,214 करोड़ था। जैसा कि चार्ट 1.6 में दर्शाया गया है कि कुल संवितरण के तीन मुख्य घटक हैं।

चार्ट 1.6: कुल संवितरणों के घटक



2012-13 में, सरकार के कुल संवितरणों में बहुत कम (एक प्रतिशत से कम) बढ़ोतरी हुई। कर्ज का पुनर्भुगतान संपूर्ण का सबसे बड़ा भाग था। संवितरण, कुल संवितरण का 60 प्रतिशत लेखा के लिए एवं 12 प्रतिशत लोक लेखा में भुगतान के लिए था। इस प्रकार, चालू कार्यों के लिए वास्तविक व्यय के प्रति केवल 28 प्रतिशत था।

### 1.3.1 भारतीय समेकित निधि से व्यय का ब्यौरा (ई-लेखा डाटा)

चूंकि वित्त लेखा में घटक-वार व्यय के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, आगामी पैराग्राफ में ई-लेखा का प्रयोग कुछ विश्लेषणों में पूरक के रूप में किया गया है। ई-लेखा, जो कि भुगतान एवं लेखा कार्यालयों तथा अन्य ऑफलाइन इंटरफेस पर कॉम्पेक्ट पर बनाया जाता है, मॉनीटरिंग तंत्र एवं मूल्य वृद्धि रिपोर्टिंग के लिए दैनिक, मासिक तथा वार्षिक लेखांकन प्रक्रिया के एकीकरण के साथ कोर लेखांकन की एक प्रणाली प्रदान करते हैं।

वित्त लेखा में व्यय आंकड़ों की निवल वसूलियां दर्शाई गई है और इस प्रकार, ई-लेखा से आंकड़े जहाँ भी लिए गए हैं, निवल वसूलियों के रूप में लिए गए हैं।


भारतीय समेकित निधि (भा.स.नि.) से व्यय का सबसे बड़ा घटक सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान की ओर था। जैसा कि चार्ट.1.7 में देखा जा सकता है, भा.स.नि. से कुल व्यय में से सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान का अंश 2011-12 में 70 प्रतिशत से 2012-13 में 68 प्रतिशत तक बहुत कम घटा है।

यह भी देखा गया है कि रक्षा सेवाओं पर व्यय 2011-12 में ₹ 1,74,867 करोड़ से 2012-13 में ₹1,86,984 करोड़ तक बढ़ गया था। इस अवधि में कुल व्यय में इसके अंश में भी 3.5 प्रतिशत से 3.7 प्रतिशत तक की थोड़ी सी वृद्धि हुई थी। विभिन्न रक्षा सेवाओं के अंश भी चार्ट 1.13 में दर्शाये गए हैं।

2011-12 में 'अन्य प्रभारों' में ₹ 65,000 करोड़ की 'सब्सिडियों' के गलत वर्गीकरण (जैसाकि 2013 के म.नि.ले.प. के प्रतिवेदन सं.1 में इंगित किया गया है) के कारण वर्ष 2012-13 में सब्सिडियों पर व्यय तथा अंश में काफी वृद्धि देखी गई थी। यह 'अन्य' श्रेयों में तीव्र गिरावट का प्रभाव था जो 2011-12 में 5.2 प्रतिशत से 2012-13 में 3.9 प्रतिशत हो गया।

रेलवे के मामले में, यद्यपि औसत व्यय में वर्ष 2008-09 से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, कुल भा.स.नि. में इसका अंश 2.5 से 3.0 प्रतिशत पर लगभग समान था।

चार्ट 1.7: भारत की समेकित निधि से व्यय का ब्यौरा



स्रोत: 26 जुलाई 2013 को प्रदत्त ई-लेखा डाटा डंप। इसमें जर्नल की प्रविष्टियाँ शामिल नहीं हैं।  
 टिप्पणी: चार्ट में दी गई राशि करोड़ में है। प्रवृत्ति रेखा भा.स.नि. से कुल व्यय में प्रतिशत अंश को दर्शाती है। गलत वर्गीकरण के कारण, 2011-12 के दौरान 'सब्सिडी' के अंतर्गत ₹65,000 करोड़ की सब्सिडी की गणना ही नहीं की गई थी। 'ब्याज' पर व्यय हेतु, केवल मुख्य शीर्षों 2048 तथा 2049 के नीचे वस्तु शीर्ष 45 के अंतर्गत आंकड़ों को ही लिया गया है। रक्षा में रक्षा मंत्रालय से संबंधित सिविल अनुदान शामिल नहीं है। 'अन्य' 'कम वसूलियां' का निवल है।

नीचे तालिका 1.7 सरकार द्वारा किए गए संवितरणों के मुख्य घटकों के अंश को दर्शाती है। जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है कि कुल संवितरण में ऋण के पुनर्भुगतान का अनुपात 2011-12 के दौरान 62.06 प्रतिशत से 2012-13 में 60.27 प्रतिशत तक घट गया है। इसके परिणामस्वरूप लगभग 11 प्रतिशत तक लोक लेखा संवितरण का अनुरक्षण करते हुए, वास्तविक व्यय का अंश 26.33 प्रतिशत से 28.19 प्रतिशत तक बढ़ गया। वास्तविक व्यय के अनुपात के रूप में राजस्व व्यय 88.01 प्रतिशत से 88.62 प्रतिशत तक बढ़ा है। वास्तविक व्यय के प्रति योजनागत व्यय का अनुपात 2011-12 में 27.81 प्रतिशत से 2012-13 में 25.80 प्रतिशत तक घटा है।


**तालिका 1.7: 2011-12 एवं 2012-13 अवधि के दौरान कुल संवितरण के घटक**

विवरण	2011-12	2012-13
कुल संवितरण (कु.सं.) (प्रतिशत में)	100.00	100.00
<b>कु.सं. की प्रतिशतता के रूप में कु.सं. के घटक</b>		
ऋण का पुनर्भुगतान	62.06	60.27
लोक लेखा से संवितरण	11.61	11.54
वास्तविक व्यय (वा.व्य.)	26.33	28.19
<b>वा.व्य. की प्रतिशतता के रूप में वा.व्य. के घटक</b>		
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	88.01	88.62
पूंजीगत व्यय (पूं.व्य.)	9.40	9.38
कर्ज एवं पेशगियाँ (क.पे.)	2.59	2.00
<b>रा.व्य. की प्रतिशतता के रूप में रा.व्य. के घटक</b>		
योजनागत राजस्व व्यय	25.57	23.18
गैर-योजनागत राजस्व व्यय	74.43	76.82
<b>पूं.व्य. की प्रतिशतता के रूप में व्यय के घटक</b>		
योजनागत पूंजीगत व्यय	41.98	45.24
गैर-योजनागत पूंजीगत व्यय	58.02	54.76
<b>क.पे. की प्रतिशतता के रूप में क.पे. के घटक</b>		
योजनागत कर्ज	52.35	51.13
गैर-योजनागत कर्ज	47.65	48.87
<b>वा.व्य. की प्रतिशतता के रूप में योजनागत व्यय</b>	27.81	25.80
<b>वा.व्य. की प्रतिशतता के रूप में गैर योजनागत व्यय</b>	72.19	74.20

### 1.3.2 राजस्व तथा पूंजीगत व्यय

राजस्व व्यय वह वर्तमान व्यय है, जो परिसम्पत्तियों के सृजन का परिणाम नहीं होता। यह केवल सरकार के नियमित परिचालन के लिए होता है जिसमें अनुरक्षण व्यय, ब्याज भुगतान, आर्थिक सहायता तथा अन्तरण आदि शामिल होते हैं। राज्य सरकारों अथवा अन्य निकायों या प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों को राजस्व व्यय के रूप में भी माना जाता है। पूंजीगत व्यय में परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण हेतु भुगतान, शेयरों में निवेश तथा सरकार द्वारा दिए गए कर्ज एवं पेशगियाँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पूंजीगत व्यय, गुणात्मक रूप से अधिक वांछनीय होने के बावजूद, 2010-11 से 2012-13 तक प्रत्येक वर्ष एक प्रतिशत से कम हुआ है। चार्ट 1.8 पूंजीगत व्यय के ऊपर राजस्व व्यय की प्रभाविता को दर्शाता है।

चार्ट 1.8: पूँजीगत व्यय के साथ राजस्व व्यय की तुलना




\*ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं

### 1.3.3 राजस्व व्यय का विश्लेषण

#### (क) राजस्व व्यय की अधिकता

शासकीय व्यय का अधिकांश भाग राजस्व व्यय की तरफ जाता है जिससे प्रायः सरकार की नई परिसम्पत्तियों का निर्माण नहीं होता तथा इससे सरकारी मशीनरी का नियमित परिचालन तथा रखरखाव किया जाता है। 2012-13 का कुल राजस्व व्यय ₹ 14,20,473 करोड़ था। जैसाकि नीचे चार्ट 1.9 में दिखाया गया है, राजस्व व्यय का लगभग दो तिहाई तीन संघटकों अर्थात् सहायता अनुदान, ब्याज भुगतान तथा आर्थिक सहायता की ओर था।

चार्ट 1.9: राजस्व व्यय के मुख्य घटक



स्रोत: 26 जुलाई 2013 को 'ई-लेखा' डाटा डम्प से प्राप्त किया गया है। जर्नल प्रविष्टियाँ शामिल नहीं है।

नोट: 2011-12 के दौरान गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 65000 करोड़ की आर्थिक सहायता को आर्थिक सहायता में गिना नहीं गया। 'ब्याज' पर व्यय हेतु, केवल मुख्य शीर्षों '2048' तथा '2049' के नीचे वस्तु शीर्ष '45' के अंतर्गत आंकड़ों को ही लिया गया है। रक्षा में रक्षा मंत्रालय से संबंधित सिविल अनुदान शामिल नहीं है। 'अन्य' 'कम वसूलियों' का निवल है।

2011-12 के दौरान, वास्तविक व्यय के प्रति राजस्व व्यय का अंश लगभग 88.01 प्रतिशत था जो 2012-13 के दौरान लगभग 88.62 प्रतिशत तक बढ़ गया। 2008-09 में राजस्व व्यय का अंश व्यय के लगभग 92 प्रतिशत तक बढ़ा तथा 2010-11 में धीरे-धीरे घटकर लगभग 87 प्रतिशत तक हुआ तथा तब से प्रत्येक वर्ष एक प्रतिशत की लगातार वृद्धि हुई है।

राजस्व व्यय 2011-12 के दौरान 10.04 प्रतिशत के प्रति वर्तमान वर्ष के दौरान 8.83 प्रतिशत तक बढ़ गया। वचनबद्ध तथा अनिवार्य व्यय जैसे कि ब्याज भुगतान, पेंशन, वेतन तथा रक्षा संबंधित व्यय राजस्व व्यय का मुख्य अंश लेता है।

### (ख) राजस्व व्यय के प्रमुख घटक

**सहायता अनुदान:** सामान्य तथा पूंजी निर्माण दोनों के लिए सहायता अनुदान वे अनुदान होते हैं जो राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों, विदेशी सरकारों या भारत की समेकित निधि से बाहर निकायों/प्राधिकरणों/हस्तियों को दिए जाते हैं। अनुदानों को उसी उद्देश्य जिसके लिए वे संस्वीकृत किए गए हैं, उपयोग किया जाना होता है तथा शेष अप्रयुक्त राशियों को अभ्यर्पित अथवा आवर्ती अनुदानों के मामले में भविष्य में समायोजित किया जाना होता है। सार्वजनिक वितरण के नए मॉडलों के संदर्भ में,

सहायता अनुदान सिविल मंत्रालय के लिए राजस्व व्यय का अति महत्वपूर्ण घटक बन गया है जैसा कि चार्ट 1.9 से स्पष्ट है। पिछले दो वर्षों से राजस्व व्यय में सहायता अनुदान का अनुपात 2011-12 में 28.3 प्रतिशत से 2012-13 में 25.8 प्रतिशत तक घट गया है।

**ब्याज भुगतान:** चार्ट 1.9 के अनुसार, ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का दूसरा बड़ा घटक है। यह लोक ऋण, आंतरिक एवं बाह्य दोनों पर ब्याज तथा सरकार की अन्य ब्याज सहित देयताओं जिसमें बीमा तथा पेंशन निधियां, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा, विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज, तथा बाजार स्थिरीकरण योजना के अन्तर्गत उधारों पर ब्याज भुगतान शामिल हैं, का भुगतान करने की व्यवस्था करता है। तालिका 1.8 के अनुसार राजस्व व्यय से ब्याज भुगतान का अनुपात वर्ष 2008-09 में 19.86 प्रतिशत था जो चालू वर्ष में 23.24 प्रतिशत तक बढ़ गया। बढ़ते हुए ब्याज भुगतान, अन्य व्यय में से राजकोषीय क्राउडिंग को दर्शाता है। 2011-12 में 17.32 प्रतिशत की वृद्धि के प्रति 2012-13 में ब्याज भुगतान की वृद्धि 15.05 प्रतिशत थी जैसा कि तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।


तालिका 1.8: संघ सरकार वित्त लेखे में राजस्व व्यय का ब्याज भुगतान से मिलान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ब्याज भुगतान	राजस्व व्यय	ब्याज भुगतान का राजस्व व्यय से अनुपात
XI वी योजना (2007-12) औसत	227175	1058775	21.62
2008-09	200580	1010224	19.86
2009-10	223701	1057479	21.15
2010-11	244624	1186115	20.62
2011-12	286982	1305195	21.99
2012-13	330171	1420473	23.24

जैसाकि चार्ट 1.10 में दर्शाया गया है, आन्तरिक ऋण (₹ 2,81,891 करोड़) के प्रति ब्याज भुगतान कुल ब्याज भुगतानों (₹3,30,171 करोड़) का 85 प्रतिशत बनता है।

चार्ट 1.10: वित्तीय वर्ष 2012-13 ब्याज व्यय के प्रमुख घटक



स्रोत: संघ सरकार वित्त लेखा 2012-13

कुल ब्याज भुगतान: ₹ 3,30,171 करोड़; आंतरिक ऋण पर ब्याज: ₹ 2,81,891 करोड़, बाह्य ऋण पर ब्याज: ₹ 4,019 करोड़, लघु बचत एवं भविष्य निधि पर ब्याज: ₹ 28,553 करोड़, पेट्रोलियम बंध पत्रों पर ब्याज: ₹ 10,051 करोड़, रिजर्व निधि पर ब्याज: ₹ 151 करोड़ तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज: ₹ 5,506 करोड़

**आर्थिक सहायता:** आर्थिक सहायता, आर्थिक लाभ (यथा कर भत्ता या शुल्क छूट) या वित्तीय सहायता (यथा नकद अनुदान या आसान ऋण) को प्रदर्शित करती है जो सरकार द्वारा किसी वस्तु के बाजार मूल्य को इसके लागत मूल्य से कम करने के लिए प्रदान की जाती हैं। **तालिका 1.9** आर्थिक सहायताओं, जिसे सरकार ने सुस्पष्ट रूप से प्रदान किया था, की स्थिति दर्शाती है। जैसाकि तालिका से स्पष्ट है, सब्सिडी का अंश दोनों स.घ.उ. के अनुपात और राजस्व व्यय में प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय का बढ़ा हिस्सा भोजन एवं पेट्रोलियम सब्सिडी की ओर है।

तालिका 1.9: संघ सरकार के बजट में सुस्पष्ट आर्थिक सहायताएं

(₹ करोड़ में)

अवधि	खाद्य	उर्वरक @ (यूरिया)	उर्वरक# (विनियंत्रित)	पेट्रोलियम आर्थिक सहायता	अन्य*	कुल आर्थिक सहायताएं	आर्थिक सहायताएं (क)	आर्थिक सहायताएं (ख)
XI वी योजना (2007-12) औसत	54038	25610	35710	23095	6749	145202	2.15	13.71
2008-09	43751	28048	48555	2852	6502	129708	2.32	12.84
2009-10	58443	22184	39452	2951	6692	129722	2.00	12.27
2010-11	63844	24337	41500	38371	9695	177747	2.28	14.99
2011-12	72822	33924	36108	68481	6567	217902	2.42	16.69
2012-13	85000	35132	30576	96880	9591	257179	2.54	18.11

@ देशी एवं आयातित उर्वरकों (यूरिया) पर दी गई आर्थिक सहायता को दर्शाता है

# विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री पर किसानों को छूट के रूप में दी गई आर्थिक सहायता को दर्शाता है।

\*अन्य में ब्याज आर्थिक सहायता, नेफेड को दिया गया अनुदान, मुद्रा नुकसान के लिए मुआवजा, हज अध्यायों के लिए आर्थिक सहायता आदि।

(क) स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में


(ख) राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में



2012-13 में पेट्रोलियम आर्थिक सहायताओं (₹28,399 करोड़) में अधिक वृद्धि के कारण मुख्यतः कम-वसूलियों की क्षतिपूर्ति में तेज वृद्धि है जो कि घरेलू एल.पी.जी. की बिक्री तथा मिट्टी के तेल (पी.डी.एस.) प्रचालनों के कारण हुआ।

2011-12 तथा 2012-13 में सरकार द्वारा दी गई स्पष्ट आर्थिक सहायता के घटक नीचे **पाई चार्ट 1.11** में भी दर्शाए गए हैं। जैसा कि चार्ट तथा ऊपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है, आर्थिक सहायताओं में 2011-12 के दौरान स.घ.उ. के औसतन 2.42 प्रतिशत से 2012-13 में 2.54 प्रतिशत तक की आंशिक वृद्धि हुई। 2012-13 में, सरकार द्वारा प्रदत्त स्पष्ट सब्सिडी, स.घ.उ. का 2.57 प्रतिशत बनती है। भोजन सब्सिडी का अंश 2011-12 एवं 2012-13 में 33 प्रतिशत के स्तर पर बना रहा। पेट्रोलियम सब्सिडी के अंश में 31 प्रतिशत से 38 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हुई। हालांकि, दूसरी ओर उर्वरक (यूरिया) तथा उर्वरक (विनियंत्रित) का अंश क्रमशः 15.57 प्रतिशत से 13.66 प्रतिशत तथा 16.57 प्रतिशत से 11.89 प्रतिशत तक घटा है।

**चार्ट 1.11: सुस्पष्ट आर्थिक सहायता के घटक**




आर्थिक सहायता न केवल सुस्पष्ट रूप से, अर्थात् बजट के माध्यम से प्रदान की जाती है, बल्कि लोगों को इमदादी लोक सेवा प्रदान करके भी उपलब्ध करायी जाती है। इस प्रकार की आर्थिक सहायताओं को सामान्यतः अस्पष्ट आर्थिक सहायता के रूप में नामित किया जाता है। वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों को बजटीय सहायता, सा.क्षे.उ. में इसके निवेश से अपर्याप्त वापसी तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से उपभोक्ता प्रभारों की अपर्याप्त वसूली, जो सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, अस्पष्ट आर्थिक सहायता की श्रेणी में आती है। **तालिका 1.9** में प्रदर्शित आर्थिक सहायताएं केवल 'स्पष्ट आर्थिक सहायताएँ' से संबंधित हैं जिनके लिए संबंधित वर्षों के संघ बजट में आबंटन किए जाते हैं।

**पेंशन भुगतान** - पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय 2008-09 में ₹ 32,940 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 69,479 करोड़ हो गया जिसने 2008-13 में 111 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। **चार्ट 1.12** 2008-13 की अवधि की स्थिति को दर्शाता है। पिछले पाँच वर्षों (2008-13) के दौरान, विचाराधीन रक्षा पेंशनों के मामले में, पेंशन भुगतानों में 114 प्रतिशत तक वृद्धि हुई तथा यह ₹ 43,368 करोड़ था जो संघ सरकार द्वारा किए गए कुल पेंशन भुगतान का 62.42 प्रतिशत था।


2008-09 में सिविल पेंशन ₹ 12,707 करोड़ रही जो 2012-13 में बढ़कर ₹ 26,111 करोड़ हो गई और उसमें विचाराधीन अवधि (अर्थात 2008-13) में 105 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

**चार्ट 1.12: 2007-13 की अवधि में पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय**



**रक्षा व्यय:** जैसाकि चार्ट 1.13 में दर्शाया गया है, रक्षा क्षेत्र के राजस्व व्यय में, थल सेना (₹ 79,669 करोड़), नौसेना (₹ 12,119 करोड़), वायु सेना (₹ 18,138 करोड़), आयुध कारखानों (₹ 1,340 करोड़) अनुसंधान एवं विकास (₹ 5,219 करोड़), रक्षा पेंशन (₹ 43,368 करोड़) तथा रक्षा मंत्रालय (₹ 14,012 करोड़) के व्यय शामिल हैं। 2012-13 में, यह केन्द्रीय सरकार के कुल राजस्व व्यय का 12 प्रतिशत था।


**चार्ट 1.13: 2012-13 की अवधि में रक्षा पर व्यय**



### 1.3.4 पूंजीगत व्यय का विश्लेषण

पूंजीगत व्यय (ऋण तथा अग्रिमों सहित) जो परिसम्पत्ति अर्जन पर किए गए व्यय का तथा मौजूदा परिसम्पत्तियों के उपयोग में वृद्धि करने का सूचक है, पिछले वर्ष में ₹ 4,576 करोड़ (2.57 प्रतिशत) तक बढ़ा तथा 2012-13 में ₹ 1,82,445 करोड़ रहा। जैसाकि पहले ही पैरा 1.3.1 में नोट किया जा चुका है, हाल के वर्षों में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश धीरे-धीरे घट रहा है।

चार्ट 1.14 : वित्तीय वर्ष 2012-13 में पूंजीगत व्यय का आवंटन - मुख्य क्षेत्र (प्रतिशत में)



चार्ट 1.14 दर्शाता है कि रक्षा सेवाओं, परिवहन, रेलवे तथा सामान्य आर्थिक सेवाओं ने चालू वर्ष में पूंजीगत व्यय का 70 प्रतिशत व्यय दर्ज किया।

- सामान्य आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय मुख्य रूप से 'सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रम' बैंक में निवेशित ₹ 12,618 करोड़ (अर्थात् 64 प्रतिशत), अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि को अभिदत्त ₹ 4,005 करोड़ (20 प्रतिशत) तथा अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं हेतु प्रदान किए कर्जे के लिए ₹ 915 करोड़ (4.63 प्रतिशत) के कारण था।
- 'अन्य' के मामले में, व्यय का मुख्य खण्ड राज्य सरकारों को कर्जे एवं पेशगियों (₹10,661 करोड़), लक्षित/सार्वजनिक संवितरण प्रणाली 'खाद्य भण्डारण एवं गोदाम' के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम के प्रापण कार्यों हेतु कर्जे (₹ 10,000 करोड़), 'पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय' (₹ 6,123 करोड़) तथा शहरी विकास के अंतर्गत स्थानीय निकायों, निगमों आदि हेतु कर्जे (₹ 2,578 करोड़) के कारण था।


### 1.3.5 योजनागत व्यय का विश्लेषण

संघ का 2008-09 में कुल योजनागत व्यय ₹ 2,75,301 करोड़ था जो 2011-12 के दौरान बढ़कर ₹ 4,12,394 करोड़ हो गया। यह 2012-13 के दौरान आंशिक रूप से बढ़कर ₹ 4,13,627 करोड़ हो गया जो वास्तविक व्यय का 25.80 प्रतिशत था। ई-लेखा से लिए गए व्यय द्वारा प्रमुख 10 अनुदानों (चार्ट 1.21) ने 2012-13 में संघ सरकार के कुल योजनागत व्यय का 74.56 प्रतिशत दर्ज किया।

**(क) योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय**

वित्त लेखे व्यय को आगे योजनागत और गैर-योजनागत में बांटने का प्रावधान करते हैं। योजनागत व्यय, सामान्यतः नई परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर संवृद्धि विकासात्मक व्यय से संबंधित होता है तथा इसमें राजस्व तथा पूंजीगत दोनों व्यय समाविष्ट होते हैं। दूसरी ओर, गैर-योजनागत व्यय सामान्यतः पहले से प्राप्त सेवाओं के स्तरों को बनाए रखने के लिए समर्पित होता है। तथापि, योजनागत तथा गैर-योजनागत व्यय दोनों में, राजस्व व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय में वृद्धि को गुणात्मक रूप से अधिक वांछनीय माना जाता है क्योंकि इससे सरकार द्वारा सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना नेटवर्क का विस्तार और पूंजी निर्माण होता है। **चार्ट 1.15** सरकार के योजनागत और गैर-योजनागत व्यय का ब्यौरा दर्शाता है। वास्तविक व्यय के अनुपात के रूप में योजनागत व्यय 2010-12 से लगभग 28 प्रतिशत पर बना रहा पर 2012-13 में घटकर 26 प्रतिशत हो गया।

**चार्ट.-1.15: योजनागत व्यय एवं गैर योजनागत व्यय का विश्लेषण**




**(ख) योजनागत व्यय का संकुचन**

गैर-विकासात्मक व्यय को सीमित करने तथा प्राथमिकता योजनाओं के उद्देश्यों को पूरा करने के दृष्टांत से अतिरिक्त संसाधनों को जारी करने के लिए, समय-समय पर वित्त मंत्रालय सरकार में मितव्ययिता के उपायों पर दिशानिर्देश जारी करता रहा है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय को युक्तिसंगत करने तथा उपलब्ध संसाधनों में सुधार तथा व्यापक आर्थिक विकास के सुधार हेतु वित्त मंत्रालय ने राज्यों को वित्त आयोग अनुदान, पेंशन, वेतन, रक्षा पूंजी, ऋण के पुनर्भुगतान, ब्याज भुगतान को छोड़कर गैर-योजनागत व्यय में 10 प्रतिशत की अनिवार्य कटौती लगाई (मई 2012)।

बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान 2012-13 के विश्लेषण (जैसा 2013-14 के लिए अनुदानों के लिए मांग में उद्घाटित किया गया है) से पता चला कि संशोधित अनुमानों में गैर योजनागत बजट प्रावधान<sup>3</sup> लगभग 10 प्रतिशत की कटौती के साथ ₹48,68,793.76 करोड़ से ₹44,03,227.08 करोड़ तक कम हुआ। योजनागत व्यय के मद में, संशोधित अनुमानों में बजट प्रावधान 17 प्रतिशत की कटौती के साथ ₹6,09,202.69 करोड़ से ₹5,03,690.33 करोड़ तक कम हुआ।

पाँच वर्ष की अवधि 2008-13 के लिए व्यय एवं संशोधित अनुमानों बनाम बजट अनुमानों के अंतर-अस्थायी विश्लेषण से पता चला कि योजना पक्ष पर राजकोषीय संकुचन केवल 2012-13 में अर्थपूर्ण रहा है। नीचे दी गई तालिका से यह स्पष्ट है।

**चार्ट 1.16: योजनागत व्यय में राजकोषीय संकुचन**



डाटा स्रोत: वर्ष 2008-09 से 2014-15 (प्रावधानिक) व्यय बजट भाग-1

इसके अतिरिक्त वर्ष 2012-13 का अनुदानवार विवरण स्पष्ट करता है कि 61 अनुदानों में संशोधित अनुमान स्तर पर योजना बजट अनुमान 10 प्रतिशत से ज्यादा कम किए गए थे, जबकि गैर-योजना बजट अनुमान केवल 18 अनुदानों में ही 10 प्रतिशत से ज्यादा कम किए गए, जो कि आर्थिक मानदण्डों पर जारी किए गए निर्देशों के विरुद्ध है।

संशोधित अनुमान स्तर पर योजना व्यय में समग्र कमी का मुख्य कारण कृषि, परमाणु ऊर्जा, रसायन एवं उर्वरक, दूर संचार, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, पेय जल एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गृह मामले, मानव संसाधन विकास, अल्पसंख्यक मामले, विद्युत, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, ग्रामीण विकास, अंतरिक्ष, कपड़ा, शहरी विकास तथा महिला एवं

<sup>3</sup> 106 अनुदानों (99 सिविल अनुदानों, छः रक्षा अनुदानों और एक डाक अनुदान) रेलवे को छोड़कर

बाल विकास के योजना आबंटन में कमी थी, जैसा कि वर्ष 2013-14 के बजट व्यय (खण्ड-1) में प्रदर्शित है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के वास्तविक व्यय बनिस्पत संशोधित अनुमान में कमी का तुलनात्मक अध्ययन, व्यय बजट (खण्ड-1) में प्रदर्शित सूचनाओं के आधार पर, निम्नलिखित तालिका 1.10 एवं चार्ट 1.17 में प्रदर्शित है।

**तालिका 1.10: योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय अनुमानों में प्रवृत्तियाँ**


2012-13	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	सं.अ. स्तर पर कमी	बचते बनाम सं.अ.	बचते बनाम व.अ.
	₹ करोड़ में			प्रतिशत		
योजनागत	521025	429187	413625	17.63	3.63	20.61
गैर-योजनागत	969900	1001638	996742	3.27 <sup>@</sup>	0.49	2.77*
<b>कुल</b>	<b>1490925</b>	<b>1430825</b>	<b>1410367</b>			

स्रोत: वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लिए व्यय बजट भाग-1 की विवरण संख्या 1

@ सं.अ. स्तर पर गैर-योजना व्यय में वृद्धि

\* वास्तविक गैर-योजना व्यय व.अ. से बढ़ गया।

**चार्ट 1.17: योजनागत एवं गैर योजनागत अनुमानों और वास्तविक व्यय का प्रवाह**




उपर्युक्त तालिका एवं चार्ट से यह स्पष्ट है कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश कि गैर योजना व्यय को बजट अनुमान की तुलना में 10 प्रतिशत तक रखा जाए, ने इच्छित परिणाम नहीं दिया है। गैर-योजना संशोधित अनुमान तथा अंतिम व्यय में क्रमशः 3.27 प्रतिशत तथा 2.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसके विपरीत, बजट अनुमान की तुलना में योजना व्यय में 20 प्रतिशत से अधिक की तीव्र कमी हुई।

### 1.3.6 सरकार के मुख्य ध्वजपोत कार्यक्रम-पिछले चार वर्षों में वास्तविक व्यय

संघ सरकार प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्य विकास प्राथमिकताओं पर लक्ष्य कर रही है। नीचे चार्ट 1.18 2009-13 की अवधि के दौरान इन मुख्य ध्वजपोत कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय को दर्शाता है।

चार्ट 1.18: 2009-13 के दौरान मुख्य ध्वजपोत कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय



स.शि.अ.=सर्व शिक्षा अभियान, दो.भो.यो.=दोपहर के भोजन की योजना, रा.ग्रा.रो.आ.यो.=राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन योजना, रा.गा.ग्रा.वि.यो.=राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इ.आ.यो.=इंदिरा आवास योजना, प्र.मं.ग्रा.स.यो.=प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रा.ग्रा.स्वा.यो.=राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना

उपर दर्शाई गई सात प्रमुख योजनाओं पर कुल व्यय 2009-10 में ₹ 94,105 करोड़ से 2010-11 में ₹ 1,18,571 करोड़ तक बढ़ गया तथा फिर 2011-12 में ₹ 1,09,379 करोड़ तथा चालू वर्ष में ₹ 101,008 करोड़ तक घट गया है। चार्ट 1.18 तथा तालिका 1.11 से यह देखा जा सकता है कि रा.गा.ग्रा.वि.यो., इं.आ.यो. तथा प्र.मं.ग्रा.स.यो. जैसी मुख्य योजनाओं ने, जब उनकी पिछले वर्ष से तुलना की गई, व्यय में कमी दर्ज की लेकिन बजट अनुमानों से तुलना में सभी सातों मुख्य योजनाओं के व्यय में गिरावट देखी गई।

**तालिका 1.11: पिछले चार वर्षों में सरकार के मुख्य ध्वजपोत कार्यक्रम - वास्तविक व्यय बनाम बजट अनुमान (ब.अ.)**

(₹ करोड़ में)


कार्यक्रम	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.से विचलन (प्रतिशत में)	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.से विचलन (प्रतिशत में)	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.से विचलन (प्रतिशत में)	ब.अ.	वास्तविक	ब.अ.से विचलन (प्रतिशत में)
स.शि.अ.	13100	12825	(-)2.10	15000	19637	30.90	20413	20841	2.10	24243	23873	(-)1.53
दो.भो.यो.	8000	6932	(-)13.40	9440	9118	(-)3.40	10061	9891	(-)1.69	11643	10849	(-)6.82
रा.ग्रा.रो.आ.यो.	39100	33538	(-)14.20	40100	35841	(-)10.60	40000	29213	(-)26.97	33000	30274	(-)8.26
रा.गा.ग्रा.वि.यो.	6300	5000	(-)20.64	5500	5000	(-)9.10	6000	2237	(-)62.72	4900	698	(-)85.76
इं.आ.यो.	8800	8800	-	10000	10337	3.40	10000	9872	(-)1.28	11075	7869	(-)28.95
प्र.मं.ग्रा.स.यो.	12000	11340	(-)5.50	12000	22400	86.70	20000	19342	(-)3.29	24000	8884	(-)62.98
रा.ग्रा.स्वा.भि.	15534	15670	(-)0.90	17138	16238	(-)5.30	19838	17983	(-)9.35	22799	18661	(-)18.15
<b>कुल</b>	<b>102834</b>	<b>94105</b>	<b>(-)8.49</b>	<b>109178</b>	<b>118571</b>	<b>8.60</b>	<b>126312</b>	<b>109379</b>	<b>(-)13.41</b>	<b>131660</b>	<b>101108</b>	<b>(-)23.20</b>

### 1.3.7 योजनागत व्यय के मुख्य घटक

जैसा कि चार्ट 1.19 से देखा जा सकता है कि अनुदान सहायता, निवेश, कर्जे एवं आर्थिक सहायता योजनागत व्यय का 89 प्रतिशत बनते हैं। सिविल मंत्रालयों के मामले में 2012-13 के दौरान 2011-12 की तुलना में, अनुदान सहायता (₹2,93,995) कुल योजनागत व्यय का लगभग 75 प्रतिशत पर बना रहा है। हालांकि, 2012-13 में पूंजीगत निर्माण हेतु सहायता अनुदान का अंश 33 प्रतिशत से 29 प्रतिशत तक कम हुआ। योजनागत व्यय के मंत्रालय वार /अनुदान -वार घटक अनुबंध 1-1 में दिखाए गए हैं।




चार्ट 1.19: योजनागत व्यय के घटक



स्रोत: 26 जुलाई 2013 को ई-लेखा द्वारा प्रदत्त डाटा डम्प (रक्षा (संख्या 22 से 27), डाक (सं.13), रेलवे एवं विनियोग ऋण का पुर्नभुगतान (सं.37) से संबंधित अनुदानों को छोड़कर। जर्नल प्रविष्टियां, 'अंत-लेखा अंतरण' (व.शी.63) तथा 'कम वसूलियां' (व.शी.70) शामिल नहीं हैं।

**चार्ट 1.20** 2007-08 से 2012-13 के दौरान कुल योजनागत व्यय के भाग के रूप में योजनागत अनुदान सहायता (पूंजीगत निर्माण और वेतन हेतु अनुदान सहायता सहित) 75 प्रतिशत तथा 79 प्रतिशत के बीच होने को दर्शाता है।

चार्ट 1.20: कुल योजनागत व्यय के अनुपात के रूप में योजनागत सहायता अनुदान (पूंजीगत निर्माण तथा वेतन हेतु सहायता अनुदान सहित)




स्रोत: 26 जुलाई 2013 को ई-लेखा द्वारा प्रदत्त डाटा डम्प (रक्षा, डाक तथा रेलवे अनुदानों को छोड़कर)। जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं हैं।

### 1.3.8 मुख्य मंत्रालयों में योजनागत व्यय में सहायता अनुदान का अनुपात

नीचे चार्ट 1.21 2012-13 में वृहत योजनागत व्यय वाले 10 मंत्रालयों/विभागों हेतु योजनागत व्यय के भीतर सहायता अनुदान के अनुपात को दर्शाता है।

चार्ट 1.21: मुख्य मंत्रालयों/विभागों में कुल योजनागत व्यय के अनुपात के रूप में सहायता अनुदान (पूँजीगत निर्माण हेतु सहायता अनुदान सहित)



\*राशि ₹करोड़ में

टिप्पणी: अ.स.=अनुदान सहायता, यो.व्य.=योजनागत व्यय, रा.सं.शा.क्षे.स.अ.=राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण, ग्रा.वि.=ग्रामीण विकास, स्कू.शि.सा.=स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता, स.प.रा.=सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, स्वा.प.क.=स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कृ.स.=कृषि एवं सहकारिता, म.बा.वि.=महिला एवं बाल विकास, वि.से.=वित्तीय सेवाएं, पे.ज.आ.=पेय जल आपूर्ति, उ.शि.=उच्चतर शिक्षा

स्रोत: दिनांक 26 जुलाई 2013 को 'ई-लेखा' पोर्टल से लिया गया डाटा डम्प। जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं हैं। 'अंत-लेखा अंतरण' एवं 'कम वसूलियां' वस्तु शीर्षों को छोड़कर।

जैसाकि स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास, विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता, महिला एवं बाल विकास, पेय जलापूर्ति तथा उच्चतर शिक्षा मंत्रालय/विभागों में लगभग समग्र योजनागत व्यय निकायों/अप्राधिकरणों/राज्य सरकारों को सहायता अनुदान का संवितरण था।

### 1.3.9 राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों/कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना सहायता की सुपुर्दगी की पद्धति

नीचे तालिका 1.12 दर्शाती है कि कुल योजनागत व्यय का केन्द्रीय योजना सहायता के सीधे अंतरण का अनुपात, 2010-11 में 31.32 प्रतिशत के स्तर तक पहुँचने के पश्चात्, 2007-08 में 26.71 प्रतिशत से 2012-13 में 25.38 प्रतिशत तक घटा।


तालिका 1.12: राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों/कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना सहायता का सीधा अंतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सीधे अन्तरण की राशि (जैसा कि व्यय बजट, संस्करण-I, विवरण सं. 18 में है)	कुल योजना व्यय	कालम 3 से कालम 2 की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)
2007-08	54776	205082	26.71
2008-09	83224	275301	30.23
2009-10	90521	303593	29.82
2010-11	118740	379065	31.32
2011-12	109173	412394	26.47
2012-13	104971	413627	25.38

निकायों/प्राधिकारियों को अंतरण की तुलना में राज्य सरकार के माध्यम से अंतरण: चार्ट 1.22 से यह स्पष्ट है कि सेवाओं के वितरण हेतु निकायों/प्राधिकरणों को अन्तरण राज्य सरकारों के द्वारा सेवाओं के वितरण की तुलना में प्रबल रहा है।

चार्ट 1.22: राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को अन्तरण बनाम निकायों/प्राधिकारियों को अनुदानों के अन्तरण का अनुपात



स्रोत: दिनांक 26 जुलाई 2013 को 'ई-लेखा' डाटा डम्प। जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं हैं।

जैसा कि उपर्युक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि सहायता अनुदान में सीधे अंतरण का औसत अंश ग्यारहवीं योजना अवधि में (2007-12) 55 प्रतिशत था जो 2012-13 के दौरान कुल योजना सहायता अनुदान व्यय के 53 प्रतिशत तक घट गया। नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा बार-बार प्रकट किया मुख्य चिंता का विषय यह है कि कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा उपयोग की निधियों के लेखे शीघ्र ही उपलब्ध नहीं हैं तथा यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या इन अभिकरणों के

पास अप्रयुक्त निधियाँ पड़ी हैं। इस मुद्दे पर अध्याय-5 में विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया है।

### 1.3.10 विगत पाँच वर्षों के लिए व्यय का विषय शीर्ष-वार विश्लेषण

एक अनुदान अथवा विनियोजन मानक विषय के द्वारा वितरित की जाती है जिसके अंतर्गत इसे लेखाबद्ध किया जाएगा। प्रत्येक मानक विषय, जिसके प्रति व्यय हेतु प्रावधान प्रकट होता है, विनियोजन की एक प्राथमिक इकाई का गठन करता है। विनियोजन की यह प्राथमिक इकाई वस्तु शीर्ष कहलाती है।

विगत पाँच वर्षों के दौरान जिन पाँच वस्तु शीर्षों पर सर्वाधिक व्यय हुआ उन्हें नीचे तालिका 1.13 में दिया गया है। उधारियों का पुनर्भुगतान और सहायता अनुदान वर्णित अवधि में वृहत वृद्धि दर्शाती है। इन वस्तु शीर्षों पर व्यय की प्रवृत्ति और भारत की समेकित निधि में उनके अंश की प्रवृत्ति को चार्ट सं. 1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.13: 2008-13 के दौरान वृहत व्यय वाले पाँच विषय शीर्ष

(₹ करोड़ में)

वस्तु शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
56-उधारियों के पुनर्भुगतान	21,64,561	30,85,792	28,02,774	34,95,929	34,26,892
सहायता अनुदान	2,64,606	2,91,447	3,52,648	3,67,254	3,66,202
45- ब्याज	2,00,973	2,22,777	2,45,701	2,89,288	3,29,263
33-आर्थिक सहायता	1,67,461	1,46,437	1,57,817	1,70,132*	2,71,761
63-अंतर खाता अंतरण	73,663	1,02,074	1,13,943	89,436	1,02,071

टिप्पणी: डाटा स्रोत: ले.म.नि. द्वारा प्रदत्त 'ई-लेखा' डाटा डम्प (रक्षा, डाक एवं रेलवे से संबंधित अनुदान के अलावा)। जर्नल प्रविष्टियाँ शामिल नहीं हैं।

\* यह आंकड़ा अन्य प्रभारों के रूप में ₹ 65000 करोड़ के गलत वर्गीकरण को शामिल नहीं करता।

पिछले वर्षों से 2012-13 में व्यय के बुकिंग में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले विषय शीर्ष निम्न तालिका में दिये गये हैं:

तालिका 1.14: पिछले वर्षों से 2011-12 में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले पाँच विषय शीर्ष

(₹ करोड़ में)

विषय शीर्ष	2011-12 में व्यय	2012-13 में व्यय	प्रतिशत में वृद्धि
60-अन्य पूंजीगत व्यय	1,789	3,923	119%
33-आर्थिक सहायता	1,70,132	2,71,761	59%
42-एकमुश्त प्रावधान	313	464	47%
32-अंशदान	6,349	8,896	39%
23-राशन की लागत	1,692	2,116	24%

आगे विश्लेषण ने उजागर किया कि:

- वस्तु शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय (अ.पू.व्य)' पर व्यय 119 प्रतिशत तक बढ़ गया अर्थात् वर्ष 2011-12 में ₹1,789 करोड़ से वर्ष 2012-13 में ₹ 3,923 करोड़ हो गया।


मंत्रालय/अनुदानवार विश्लेषण से पता चला कि दूरसंचार विभाग से संबंधित अनुदान में, अ.पू.व्य पर व्यय वर्ष 2011-12 में ₹ 50.00 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 1,517.18 करोड़ तक बढ़ गया, इस प्रकार इसका एक वर्ष में कुल वृद्धि में योगदान रहा। अंतरिक्ष विभाग ने भी इस वस्तु शीर्ष पर व्यय में वर्ष 2011-12 में ₹ 406.32 करोड़ से वर्ष 2012-13 में ₹ 1,278.98 करोड़ तक वृद्धि कर दी थी।

- जैसाकि 2013 के प्रतिवेदन सं.1 में इंगित किया गया है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 65,000 करोड़ को, जो कि आर्थिक सहायता के रूप में संवितरित किए गए थे, वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' में गलत वर्गीकृत किया। हालांकि मंत्रालय ने 2011-12 के दौरान आर्थिक सहायता के रूप में दर्ज ₹ 3481.00 करोड़ के प्रति 2012-13 में ₹96,879.87 करोड़ दर्ज किया गया था जिसके परिणामस्वरूप इस वस्तु शीर्ष पर व्यय में तेज वृद्धि हुई।
- यह भी नोट किया गया कि वस्तु शीर्ष 'एकमुश्त प्रावधान' पर व्यय वर्ष 2011-12 में ₹313 करोड़ से वर्ष 2012-13 में ₹ 464 करोड़ तक बढ़ गया। इस वृद्धि का एकमात्र कारण आर्थिक कार्य विभाग द्वारा व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (व्य.अं.वि.पो.) से संबंधित ₹457.55 करोड़ को दर्ज किया जाना था। वित्तीय शक्तियों की प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के अनुसार एकमुश्त प्रावधान ₹10 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए और अन्य सभी मामलों में व्यय का ब्यौरा दिया जाना चाहिए **(पैरा सं. 4.11 के संदर्भ में)**। 2011-12 में इस वस्तु शीर्ष में भी 130 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी।
- विषयशीर्ष 'अंशदान' में व्यय में 39 प्रतिशत अर्थात् वर्ष 2011-12 में ₹6,349 करोड़ से वर्ष 2012-13 में ₹8,896 करोड़ तक वृद्धि हुई। इस वृद्धि में सर्वाधिक अंशदायक विदेश मंत्रालय एवं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय थे जहां 2011-12 से 2012-13 के दौरान 'अंशदान' पर व्यय में क्रमशः ₹2,646.12 करोड़ से ₹3,894.05 करोड़ एवं ₹1,373.35 करोड़ से ₹2,420.15 करोड़ वृद्धि हुई।

#### 1.4 व्यय का समय विश्लेषण

व्यय प्रबंधन का एक मुख्य पहलू वर्ष की समाप्ति की ओर व्यय के घनत्व से बचना है। वित्त मंत्रालय ने मार्च माह तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय को बजट अनुमानों के क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 33 प्रतिशत तक सीमित करने हेतु सितम्बर 2007 में मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए। नीचे चार्ट 1.23 दर्शाता है कि कैसे कुल व्यय तथा इसमें योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय (रक्षा, रेलवे, डाक एवं दूरसंचार को छोड़कर अन्य मंत्रालय विभाग) का वित्तीय वर्ष में संवितरण हुआ।

चार्ट 1.23: व्यय का माह वार प्रवाह (प्रतिशत में)



#भा.सं.नि. = भारत की समेकित निधि (इस चार्ट में 'अन्तर लेखा अन्तरण' को शामिल न किए जाने के कारण भा.सं.नि. से माह-वार व्यय की प्रतिशतता अनुबंध 1-ख के साथ मेल नहीं खा सकती है)

टिप्पणी: 26 जुलाई 2013 को प्रदत्त 'ई लेखा' डाटा डम्प (रक्षा (सं. 22 से 27), डाक (नं.13), रेलवे तथा विनियोजन-ऋण का पुनर्भुगतान (सं.37) से संबंधित अनुदान के अलावा) जर्नल प्रविष्टियाँ, 'अन्तः लेखा अन्तरण' (व.शी.-63) तथा 'कम वसूलियाँ' (व.शी.-70) शामिल नहीं है।

सिविल मंत्रालयों<sup>4</sup> हेतु भारत की समेकित निधि से सरकार के कुल व्यय का विश्लेषण दर्शाता है कि कुल वार्षिक व्यय का 19 प्रतिशत मार्च 2013 में एवं 34 प्रतिशत वर्ष 2012-13 के अंतिम तिमाही में किया गया था। मार्च 2013 में योजनागत व्यय एवं गैर-योजनागत व्यय में तीव्र वृद्धि देखी गई थी। योजनागत व्यय 2012 के जून, सितम्बर तथा दिसम्बर की तिमाही में उंचाई पर था तथा मार्च 2013 में कुल योजनागत व्यय के 17 प्रतिशत की सुस्पष्ट वृद्धि को दर्शाता है। गैर-योजनागत व्यय जो वार्षिक व्यय का प्रत्येक माह औसत 5 से 9 प्रतिशत के बीच रहा, मार्च 2013 में, कुल गैर-योजनागत व्यय के 20 प्रतिशत तक की तीव्र वृद्धि को दर्शाता है।

**मंत्रालय/विभाग वार समय विश्लेषण:** तालिका 1.15 में एक पृथक्कृत विश्लेषण दर्शाता है कि मार्च 2013 में 10 अनुदानों के मामले में कुल व्यय का 26 प्रतिशत से ऊपर व्यय किया गया था। वित्तीय सेवाएं विभाग के मामले में कुल व्यय का 59 प्रतिशत मार्च के अंतिम दिन किया गया था। मंत्रालय-वार /अनुदान-वार व्यय का समय विश्लेषण अनुबंध 1.2 में दिया गया है:-

<sup>4</sup> डाक (अनुदान सं. 13), रक्षा (अनुदान सं. 22 से 27) तथा ऋण पुनर्भुगतान (अनुदान सं. 37) को छोड़कर

तालिका 1.15: मार्च 2013 में किये गए व्यय का विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	कुल व्यय	मार्च में व्यय (अनुपूरक लेखे सहित)	मार्च में व्यय की प्रतिशतता (अनुपूरक लेखे सहित)	मार्च के अंतिम दिवस पर व्यय	मार्च के अंतिम दिवस पर व्यय की प्रतिशतता
033	वित्तीय सेवाएं विभाग	21292.76	15126.50	71.04	12519.87	58.80
075	विद्युत मंत्रालय	6302.90	3951.41	62.69	12.80	0.20
010	कोयला मंत्रालय	744.90	291.96	39.19	0.03	0.00
070	पंचायती राज मंत्रालय	3937.27	1250.50	31.76	518.71	13.17
005	नाभिकीय ऊर्जा	4061.14	1147.08	28.25	409.67	10.09
047	आयुष विभाग	755.19	208.68	27.63	147.26	19.50
053	मंत्रिमंडल	925.05	255.02	27.57	245.15	26.50
050	भारी उद्योग विभाग	768.98	209.08	27.19	81.25	10.57
073	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	97423.06	26248.10	26.94	13.20	0.01
020	रक्षा मंत्रालय	15609.71	4164.49	26.68	2675.78	17.14

टिप्पणी: ई लेखा पोर्टल से लिए गए डाटा (रक्षा, डाक तथा रेलवे से संबंधित अनुदान के अलावा)। जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं हैं।

उन मंत्रालयों जहाँ वित्त वर्ष के अंतिम दिन को एक महत्वपूर्ण धन राशि खर्च की गयी थी, के संबंध में आगे एक विश्लेषण ने उदघाटित किया कि-

- कुल ₹ 12,519 करोड़\* में से ₹ 12,517 करोड़ की राशि, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा मार्च 2013 के अंतिम दिन '54-निवेश' वस्तु शीर्ष के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के पुर्नपूंजीकरण पर व्यय की गयी जो कि कुल राशि का 99.98 प्रतिशत था। 2011-12 में भी, मार्च के अंतिम दिन पर विभाग ने अपने अनुदानों का 67 प्रतिशत व्यय किया था।
- इसी प्रकार मंत्रिमंडल से संबंधित अनुदान के अंतर्गत कुल ₹ 245.15 करोड़ में से ₹ 218.93 करोड़ की राशि दो वस्तु शीर्षों अर्थात् विदेश यात्रा व्यय (₹ 184.75 करोड़) तथा मशीनरी एवं उपकरण (विशेष सुरक्षा समूह के लिए ₹ 34.18 करोड़) पर व्यय की गई जो कि 89.30 प्रतिशत बनती है।

**विषय शीर्षवार समय विश्लेषण:** संघ सरकार के लेखाओं के कोडिंग प्रतिमान के अनुसार एक उप-शीर्ष योजनाओं को प्रस्तुत करता है, विस्तृत शीर्ष उप-योजनाओं को प्रस्तुत करता है तथा विषय शीर्ष अंतिम शीर्षों (अर्थात् वेतन, दै.भ., म.कि.भ., पुरस्कार, उपदान आदि) को प्रस्तुत करता है जिन पर व्यय किया गया है। सिविल मंत्रालयों में विषय शीर्ष स्तर पर व्यय की जाँच ने प्रकट किया कि कई वस्तु शीर्षों में उल्लेखनीय व्यय घनत्व था। तालिका 1.6 में मुख्य 10 मामले दर्शाए गए हैं:

\* अनुदान हेतु अनुपूरक मांगों में प्रावधान प्राप्त किए गए थे।

तालिका 1.16 मार्च 2013 में हुए विषय शीर्ष व्यय का विश्लेषण

(₹ करोड़ में)


वस्तु शीर्ष	वस्तुशीर्ष का विवरण	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता	मार्च के अंतिम दिवस पर व्यय	मार्च के अंतिम दिवस पर कुल व्यय की प्रतिशतता
44	विनिमय विविधताएँ	69.09	69.09	100.00	0.00	0.00
64	बट्टे खाते/हानियाँ	564.69	267.43	47.36	174.70	30.94
54	निवेश	38946.96	14780.29	37.95	12834.01	32.95
25	परिधान एवं खेमा	505.60	158.15	31.28	60.70	12.00
05	पुरस्कार	38.64	12.03	31.13	5.71	14.79
53	मुख्य कार्य	23854.33	7407.90	31.05	3138.47	13.16
26	विज्ञापन एवं प्रचार	1511.90	455.98	30.16	56.20	3.72
30	अन्य संविदात्मक सेवाएँ	1721.73	519.00	30.14	353.14	20.51
52	मशीनरी एवं उपकरण	3049.06	882.39	28.94	401.86	13.18
50	अन्य प्रभार	10370.25	2996.48	28.90	1370.85	13.22

टिप्पणी: ई लेखा पोर्टल से लिए गए डाटा रक्षा (अनुदान सं. 22 से 27), डाक (अनुदान सं.13) तथा रेलवे से संबंधित अनुदान शामिल नहीं है। जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं है।

सरकार को वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय को एक साथ करने के कारणों की जांच विशेष रूप से निवेश, विज्ञापन एवं प्रचार, प्रमुख कार्य तथा अन्य प्रभारों के मामले में करनी चाहिए।

### 1.5 ऋण तथा घाटा सूचक

#### बॉक्स-1.2 भारत सरकार की राजकोषीय देयताएँ



यद्यपि बजट के संतुलन हेतु ऋण पर भरोसा करने से नहीं बचा जा सकता, संघ सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्वों तथा बजट प्रबंधन (रा.उ.प्र.ब.) अधिनियम, 2003 के माध्यम से उधारों



पर विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की तथा राज्य सरकारों को राजकोषीय सुधार विधान के माध्यम से अपनी देयताओं पर सीमाएं निर्धारित करने हेतु प्रोत्साहित किया। रा.सु.ब.प्र. नियमावली निर्धारित करती हैं कि केन्द्र सरकार वित्त वर्ष 2004-05 के लिए स.घ.उ. के 9 प्रतिशत की अधिकता में अतिरिक्त देयताओं (चालू विनिमय दर पर बाह्य ऋण को शामिल करते हुए) को ग्रहण नहीं करेगी और आने वाले प्रत्येक वित्त वर्ष में स.घ.उ. 9 प्रतिशत की सीमा को स.घ.उ. के कम से कम एक प्रतिशत को उत्तरोत्तर घटाया जाना था। 2012-13 में उजागर ₹5,55,302 करोड़ तक की राशि की अतिरिक्त देयताएं स.घ.उ. का 5.56 प्रतिशत थीं, जो कि राजकोषीय कानून की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। राजकोषीय कानून के अनुसार 2012-13 में अतिरिक्त देयताएं स.घ.उ. का एक प्रतिशत होनी चाहिए थीं।

**तालिका 1.17** दसवीं योजना औसत की तुलना में स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में कुल देयताओं में घटती हुई प्रवृत्ति को दर्शाती है। यह मुख्यतः हाल के वर्षों में स.घ.उ. की वृद्धि कुल देयताओं में वृद्धि से काफी अधिक रहने के कारण थी। तेरहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है कि संघ सरकार को अपने ऋण स्टॉक को 2012-13 तक स.घ.उ. के 50.5 प्रतिशत और 2014-15 तक 44.8 प्रतिशत तक कम करना चाहिए।

**तालिका 1.17: राजकोषीय देयताएं**

(₹ करोड़ में)

अवधि	संघ सरकार आन्तरिक ऋण	बाह्य ऋण (ऐतिहासिक दरों पर)	लोक लेखा*	कुल देयताएं (ऐतिहासिक दरों पर)	बाह्य ऋण (वर्तमान दरों पर)	कुल देयताएं (वर्तमान दरों पर)
	(1)	(2)	(3)	(1+2+3)	(4)	(1+3+4)
<b>X वीं योजना (2002-07) औसत</b>	<b>1274620 (38.41)</b>	<b>72715 (2.19)</b>	<b>368973 (11.12)</b>	<b>1716307 (51.73)</b>	<b>193395 (5.83)</b>	<b>1836987 (55.36)</b>
<b>XI वीं योजना (2007-12) औसत</b>	<b>2409114 (35.64)</b>	<b>139377 (2.06)</b>	<b>558068 (8.25)</b>	<b>3106559 (45.95)</b>	<b>265049 (3.92)</b>	<b>3232230 (47.81)</b>
2008-09	2019841 (36.18)	123046 (2.20)	556235 (9.96)	2699122 (48.35)	264059 (4.73)	2840135 (50.87)
2009-10	2328339 (35.94)	134083 (2.07)	583279 (9.00)	3045701 (47.02)	249306 (3.85)	3160924 (48.80)
2010-11	2667115 (34.26)	157639 (2.03)	586458 (7.53)	3411212 (43.82)	278877 (3.58)	3532450 (45.38)
2011-12	3230622 (35.86)	170088 (1.89)	597765 (6.63)	3998475 (44.38)	322897 (3.58)	4151284 (46.08)
2012-13	3764566 (37.22)	177289 (1.75)	610016# (6.03)	4551871 (45.01)	332004 (3.28)	4706586 (46.54)

टिप्पणी: कोष्ठको में दर्शाए गए आंकड़े स.घ.उ. की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

\* 1999-2000 से लोक लेखा देयताएं राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश के प्रसार तक लघु बचतों के कारण देयताओं को शामिल नहीं करती हैं।

# 31.03.2013 तक लोक लेखा देयताएं ₹ 11,28,737 करोड़ पर रहीं, जिसमें राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में ₹ 5,17,221 करोड़ का निवेश तथा 2007-08 से भा.अ.वि.कं.लि. में ₹ 1,500 करोड़ का निवेश शामिल है।

उपरोक्त तालिका 1.17 दर्शाती है कि 2012-13 के लिए, आंतरिक ऋण (16.53 प्रतिशत) की वृद्धि स.घ.उ. वृद्धि (12.25 प्रतिशत) से कहीं अधिक तेज थी जो कि 2012-13 में ऋण स्थिति के खराब होने को दर्शा रहा थी।

31 मार्च 2013 को, ₹ 37,151.566 करोड़ के आंतरिक ऋण के विवेक पर, 855 करोड़ कुल लोक ऋण का लगभग 95.50 प्रतिशत संघटित किया। वित्त वर्ष के दौरान, सरकार ने आंतरिक ऋण पर ब्याज के रूप में ₹ 2,81,891 करोड़ की राशि का भुगतान किया। आंतरिक ऋण पर अदा किए गए ब्याज में 80 प्रतिशत (₹ 2,25,520 करोड़) से ज्यादा हिस्सा बाजार ऋण वाले ब्याज (विभिन्न दरों का) थे। 2012-13 के द्वारा भारत द्वारा अदा किए बाह्य ऋण (₹ 4,019 करोड़) के ब्याज पर किये गये भुगतान का लगभग 86 प्रतिशत (₹3,470.48 करोड़) अंश केवल चार संस्थाओं अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (अं.वि.सं.), पुर्ननिर्माण एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक (पु.वि.अं.बैं.), जापान सरकार एवं एशियाई विकास बैंक (ए.वि.बैं.) से ऋणों के प्रति था।

2012-13 के अंत में लघु बचतों, भविष्य निधियों, आदि के कारण केन्द्र सरकार की देयताओं को ₹ 9,88,832.95 करोड़ तक दर्शाया गया है। हालांकि, आई.आई.एफ.सी.एल. में ₹ 1,500 करोड़ एवं विशेष राज्य सरकार प्रतिभूतियों में ₹ 5,17,221.26 करोड़ के निवेशों को छोड़ने के पश्चात् निवल देयता ₹ 4,70,111.69 करोड़ तक दर्शाई गई थी। संघ सरकार की कुल देयता की गणना करते समय राष्ट्रीय लघु बचत निधि के परिचालन को छोड़ देने के कारण 2012-13 के अंत में ₹69,476.57 करोड़ संचित घाटा हुआ। इसे ध्यान में रखते हुए, लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि के कारण 2012-13 के अंत में केन्द्र सरकार की देयता ₹10,58,309.52 करोड़ हो सकती थी। परिणामस्वरूप, लोक लेखा के अंतर्गत देयता तथा संघ सरकार की कुल देयताओं को भी उस सीमा तक कम बताया गया था।

तालिका 1.18: गैर-ऋण प्राप्ति तथा लोक ऋण पुनर्भुगतान


(₹ करोड़ में)

वर्ष	आंतरिक ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान	आंतरिक ऋण पर ब्याज का पुनर्भुगतान	बाह्य ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान	बाह्य ऋण पर ब्याज का पुनर्भुगतान	ऋण का कुल पुनर्भुगतान	कुल गैर-ऋण प्राप्ति
2008-09	2154553	164164	10007	4195	2332919	667922
2009-10	3074652	180504	11139	3629	3269924	741837
2010-11	2802999	201841	11774	3156	3019770	984785
2011-12	3482343	242569	13586	3501	3741999	965183
2012-13	3410785	281891	16108	4019	3712803	1108404

तालिका 1.18 2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए सरकार के गैर-ऋण प्राप्ति के समक्ष लोक ऋण के पुनर्भुगतान (मूलधन तथा ब्याज) की मात्रा को दर्शाती है। 2008-09 के दौरान लोक ऋण का पुनर्भुगतान गैर-ऋण प्राप्ति का 349 प्रतिशत था और 2012-13 में 335 प्रतिशत तक घट गया था। इसके अतिरिक्त, 2008-09 के दौरान राजस्व प्राप्ति के प्रति लोक ऋण का कुल पुनर्भुगतान का अनुपात 357 प्रतिशत तक था, जो 2012-13 में 352 प्रतिशत तक घट गया है। जैसाकि तालिका में देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में ऋण का कुल पुनर्भुगतान ₹ 29,196 करोड़ तक नीचे था और कुल गैर ऋण प्राप्ति ₹ 1,43,221 करोड़ तक बढ़ गई थी।

### 1.5.1 घाटे के प्रकार

बॉक्स 1.3: घाटे के प्रकार



#### (क) राजस्व घाटा

राजस्व घाटा राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्ति के बीच अंतर को दर्शाता है। राजस्व घाटा बिना तदनु रूप पूँजी/परिसंपत्ति के निर्माण के उधारों में वृद्धि का कारण बनता है। अतः राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए, लिए गए उधार का कोई भी परिसंपत्ति बैक अप नहीं होता तथा यह एक बेमेल परिसंपत्ति व देयता का सृजन करता है। इन कारणों से, राजस्व घाटा साधारणतः कम वांछनीय समझा जाता है। राजस्व घाटे में प्रवृत्तियां तथा उसके कुछ मुख्य मापदंड तालिका 1.19 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.19: राजस्व घाटा तथा उसके मापदण्ड

अवधि	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय	राजस्व घाटा	प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा		
				स.घ.उ.	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय
(₹ करोड़ में)						
<b>XI वीं योजना (2007-12) औसत</b>	<b>770152</b>	<b>1058775</b>	<b>288623</b>	<b>4.24</b>	<b>37.48</b>	<b>27.26</b>
2008-09	653847	1010224	356377	6.38	54.50	35.28
2009-10	704523	1057479	352956	5.45	50.10	33.38
2010-11	932686	1186115	253429	3.26	27.17	21.37
2011-12	910277	1305195	394918	4.38	43.38	30.26
2012-13	1055891	1420473	364582	3.60	34.53	25.67

**तालिका 1.19** दर्शाती है कि 2011-12 में राजस्व घाटा बढ़ा लेकिन 2012-13 में ₹ 30,336 करोड़ तक कम हुआ। वर्ष 2012-13 में राजस्व घाटे में सुधार को राजस्व प्राप्तियों में 16 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की कारण से कहा जा सकता है।

**(ख) राजकोषीय घाटा**

राजकोषीय घाटा गैर-ऋण प्राप्तियों के उपर वास्तविक व्यय का आधिक्य है। यह सरकार के कुल उधारों तथा इसके बकाया ऋण के प्रति वृद्धि को भी इंगित करता है। यह सामान्यतः सरकार की निवल वर्धनीय देयताओं या राजस्व तथा व्यय के मध्य बजटीय अन्तर को पाटने के लिए इसके द्वारा लिए गए अतिरिक्त लोक ऋण को प्रस्तुत करता है। कमी को अतिरिक्त लोक ऋण (आंतरिक अथवा बाह्य) या लोक लेखे से अधिशेष निधियों के प्रयोग द्वारा पूरा किया जा सकता है। मुख्य राजकोषीय मापदंडों के सापेक्ष घाटे की अधिशेष प्रवृत्ति के साथ साथ राजकोषीय घाटा प्रवृत्ति **तालिका 1.20** में इंगित की गई है।

**तालिका 1.20: राजकोषीय घाटा तथा इसके मापदण्ड**

अवधि	गैर ऋण प्राप्तियां	कुल व्यय	राजकोषीय घाटा	प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा		
				स.घ.उ.	गैर-ऋण प्राप्तियां	वास्तविक व्यय
(₹ करोड़ में)						
<b>XIवीं योजना (2007-12) औसत</b>	<b>811668</b>	<b>1198142</b>	<b>386474</b>	<b>5.69</b>	<b>47.61</b>	<b>32.26</b>
2008-09	667922	1102365	434444	7.78	65.04	39.41
2009-10	741837	1174280	432443	6.68	58.29	36.83
2010-11	984785	1367427	382642	4.92	38.86	27.98
2011-12	965183	1483064	517881	5.75	53.66	34.92
2012-13	1108404	1602918	494514	4.89	44.61	30.85

जैसाकि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है, पिछले वर्ष की तुलना में राजकोषीय घाटे में चालू वर्ष में सुधार देखा गया।

यदि राजकोषीय घाटे का अधिकांश भाग पूंजीगत व्यय को कायम रखने के लिए या पूंजीगत निर्माण हेतु इकाइयों के लिए वित्तीय सुविधायें प्रदान करने के लिए है, तो ऐसे घाटे को एक हद तक वांछनीय समझा जा सकता है। **तालिका 1.21** ग्यारहवीं योजना अवधि तथा 2012-13 हेतु राजकोषीय घाटे के संघटकों की गति को दर्शाती है।

**तालिका 1.21: राजकोषीय घाटे के संघटक**

अवधि	(प्रतिशत)		
	राजस्व घाटा	निवल पूंजीगत व्यय	निवल कर्जे एवं पेशगियाँ
<b>XIवी योजना (2007-12) औसत</b>	<b>74.68</b>	<b>24.35</b>	<b>0.97</b>
2008-09	82.03	17.72	0.25
2009-10	81.62	17.60	0.78
2010-11	66.23	30.79	2.98
2011-12	76.26	23.44	0.31
2012-13	73.73	25.17	1.10

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, राजकोषीय घाटे का बड़ा भाग राजस्व घाटे को वित्तपोषित करने के प्रति जाता है। 2012-13 में, राजकोषीय घाटे के घटक के रूप में निवल पूंजीगत व्यय के संबंधित अंश में सुधार था।

निम्न तालिका 1.22 वर्ष 2012-13 में पूर्व वर्षों में बजटों के साथ रखे गए मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणों (म.अ.रा.नि.वि.) में मुख्य राजकोषीय मापदंडों-राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के लिए तय किए गए लक्ष्य प्रस्तुत करती है। वर्तमान वर्ष में, राजस्व घाटा बजट अनुमानों (ब.अ.) में दर्शाई गई निर्दिष्ट सीमा से सीमांत ऊपर था और राजकोषीय घाटा इस सीमा से नीचे था।

**तालिका 1.22: रा.उ.ब.प्र. नियमावली के अन्तर्गत लक्ष्यों के समक्ष परिणाम (स.घ.उ. के प्रतिशतता के रूप में)**

राजकोषीय संकेतक	म.अ.रा.नि.वि. 2010-11 में वर्ष 2012-13 हेतु निर्धारित लक्ष्य	म.अ.रा.नि.वि. 2011-12 में वर्ष 2012-13 हेतु निर्धारित लक्ष्य	म.अ.रा.नि.वि. में बजट अनुमान 2012-13	वास्तविक स्तर
राजस्व घाटा	2.7	2.7	3.4	3.60
राजकोषीय घाटा	4.1	4.1	5.1	4.89

**(ग) प्राथमिक घाटा**

प्राथमिक घाटे को राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटा कर मापा जाता है। यह पूर्व में उधार ली गई राशियों के कारण सृजित ब्याज भुगतान की देयता को छोड़ने के वर्तमान वर्ष के राजकोषीय परिचालन का उपाय है।

पिछले पाँच वर्षों के प्राथमिक घाटे की प्रवृत्ति तालिका 1.23 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.23: प्राथमिक घाटा


(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजकोषीय भुगतान	ब्याज भुगतान	प्राथमिक घाटा	स.घ.उ. के प्रतिशत में
2008-09	434444	200580	233864	4.19
2009-10	432443	223701	208742	3.22
2010-11	382642	224624	138018	1.77
2011-12	517881	286982	230899	2.56
2012-13	494514	330171	164343	1.63

### 1.5.2 बाह्य ऋण : अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता

31 मार्च 2013 को, अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता ₹ 1,66,978 करोड़ थी। चार्ट 1.24 विभिन्न स्रोतों से बाह्य सहायता का वर्ष-वार कुल अनाहरित शेष दर्शाता है। सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक के कार्यालय से क्षेत्रवार विवरण इंगित करता है कि शहरी विकास (₹ 29,406 करोड़), सड़कें (₹ 22,140 करोड़), जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (₹ 15,242 करोड़), विद्युत (₹ 14,171 करोड़), जल संसाधन प्रबंधन (₹ 11,567 करोड़) एवं पर्यावरण तथा वानिकी (₹ 11,462 करोड़) क्षेत्रों में बड़े अनाहरित शेष थे।

चार्ट 1.24: अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता



अनाहरित बाह्य सहायता पर वचनबद्धता प्रभार, बाद की तिथियों में आहरण हेतु पुनर्निर्धारित मूल राशि पर दिए जाते हैं। चूंकि वचनबद्धता प्रभारों के भुगतान को दर्शाने के लिए लेखाओं में कोई पृथक शीर्ष नहीं है, इसलिए इसे 'ब्याज देयता' शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाता है। तालिका 1.24 ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान बाद की तिथियों में सहायता के आहरण के पुनर्निर्धारित करने के लिए विभिन्न निकायों/सरकारों को दिए गए वचनबद्धता प्रभारों को दर्शाती है।

तालिका 1.24: वचनबद्ध प्रभार

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ए.वि.बैं.	जापान	जर्मनी	अ.पु.वि.बैं.	जोड़
2008-09	62.62	0.00	4.17	50.58*	117.37
2009-10	53.26	0.00	5.57	27.28	86.11
2010-11	40.15	23.23	26.78	18.63	108.79
2011-12	42.30	20.82	6.24	13.92	83.29
2012-13	47.18	25.67	7.43	12.24	92.52

स्रोत: सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक

ए.वि.बैं.=एशियाई विकास बैंक

अ.पु.वि.बैं.=अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक

\*अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण सहायता सम्मिलित है।


यह निरन्तर अपर्याप्त योजना की ओर संकेत करते हैं जिसका परिणाम 2012-13 में ₹ 92.52 करोड़ के वचनबद्ध प्रभारों के रूप में परिहार्य व्यय में हुआ।

### 1.6 संघ सरकार की आकस्मिक देयताओं में वृद्धि

संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार, संघ सरकार ऐसी सीमाओं के भीतर गारंटियाँ दे सकती हैं, यदि कोई है, जो विधि से संसद द्वारा निर्धारित की गई है। संघ सरकार द्वारा (i) उधारों का पुनर्भुगतान तथा उस पर ब्याज का भुगतान, (ii) अंश पूंजी का पुनर्भुगतान तथा न्यूनतम लाभांश का भुगतान, (iii) सरकारी कम्पनियों/निगमों, रेलवे, संघ शासित क्षेत्रों, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी संस्थानों आदि के लिए क्रेडिट आधार पर सामग्रियों तथा उपकरणों के आपूर्तियों हेतु करार के प्रति भुगतान आदि गारंटी दी जाती है। यह गारंटियाँ भा.स.नि. पर आकस्मिक देयता स्थापित करती है। 31 मार्च 2013 को गारंटियों की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किया तथा बकाया कुल गारंटियाँ क्रमशः ₹ 2,42,915 करोड़ तथा ₹ 2,33,769 करोड़ थीं।

संघ सरकार की आकस्मिक देयताएं उत्पन्न होती है क्योंकि सभी जोखिमों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। जहां गारंटियां परम्परागत रूप से मापे गए ऋण का भाग नहीं होती, चूक होने की स्थिति में, उसमें सरकार की ऋण स्थिति में तेजी लाने का सामर्थ्य होता है। अवसंरचना की बढ़ती हुई निवेश आवश्यकता, इस प्रकार की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी और गारंटियों को आह्वान किए जाने की बढ़ती सम्भावना के संदर्भ में गारंटियों का मामला महत्वपूर्ण हो जाता है। चार्ट 1.25 तथा तालिका 1.23, 2008-13 वित्तीय वर्षों के अन्त तक गारंटियों की अधिकतम राशि, बकाया गारंटीकृत राशियां तथा बकाया बाह्य गारंटियों से संबंधित स्थिति को दर्शाती है।

चार्ट: 1.25 संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ



तालिका 1.25: संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गारंटी की अधिकतम राशि	बकाया गारंटीकृत राशि	बकाया बाह्य गारंटियां	कुल बकाया गारंटियों के प्रतिशत के रूप में बकाया बाह्य गारंटियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008-09	117659	113335	59343	52.36
2009-10	150437	137460	72408	52.76
2010-11	160611	151292	89053	58.86
2011-12	203056	192501	114387	59.42
2012-13	242915	233769	136864	58.55

गारंटियाँ सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से उधार लेने अथवा सा.क्षे.उ. को बाजार से मुद्रा उधार लेने योग्य बनाने हेतु दी जाती है। 2012-13 में, 31 मार्च 2013 तक बकाया गारंटीकृत राशि (₹ 2,33,769 करोड़) में से 59 प्रतिशत विदेशी कर्जदाता संस्थाओं को गई, 33 प्रतिशत आर.बी.आई/बैंकों/औद्योगिक वित्त निगमों आदि को मूल एवं ब्याज के पुनर्भुगतान, नगद क्रेडिट सुविधा आदि के लिए तथा शेष आठ प्रतिशत शेयर पूंजी के पुनर्भुगतान के लिए, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान हेतु तथा बंधपत्रों, उधारों एवं डिबेंचर/काउण्टर गारंटी आदि के लिए गई। वित्त मंत्रालय द्वारा मुख्य मंत्रालयों/विभागों जिनको गारंटी प्रदान की गई उनमें से उपभोक्ता मामलों, आर्थिक कार्य, नागरिक उड्डयन, ऊर्जा एवं स्टील के मंत्रालय/विभाग थे। मंत्रालयों द्वारा अद्यतन गारंटी रजिस्ट्रारों का अनुरक्षण सरकार के जोखिम की प्रमात्रा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।



रा.उ.ब.प्र. नियमावली 2004 नियम 3(3) में अनुबंधित है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ किसी भी वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार को 0.5 प्रतिशत स.घ.उ. की राशि से अधिक गारंटियां नहीं देनी चाहिए, यह प्रतिशतता गारंटियों के निवल संचयन के आधार पर निकाली गयी है। वर्ष 2012-13 में दी गई गारंटी ₹ 36,938 करोड़ की थी जो स.घ.उ. का 0.37 प्रतिशत थी। किसी वित्तीय वर्ष के अन्त में वह गारंटी जो बकाया है उसे आगामी वर्षों में आगे लाया जाएगा क्योंकि उसे कभी भी भुनाया जा सकता है। किसी विशेष वर्ष में गारंटी भुनाए जाने की संभाव्यता के जोखिम अनुमान इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम किसी विशेष वर्ष में गारंटी राशि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करते हैं।

2012-13 में, कुल बकाया गारंटियाँ (₹ 2,33,769 करोड़), स.घ.उ. का 2.31 प्रतिशत तथा 2012-13 में संघ सरकार को प्रोद्भूत राजस्व प्राप्तियों का 22.14 प्रतिशत थीं।